DUTT) : (a) Government has seen the news item.

(b) and (c) The insinuations made in the news report are rather general and vague and as such do not warrant any followup action. However ONGC's rules and procedures are devised to prevent malpractices

उत्तरी जोन परिषद की बैठक

880. **श्री रशीद मसूद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी जोन परिषद की हाल ही में एक बैठक चंडीगढ़ में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय बिजली घर से आवंटित हिस्से की बिजली न मिलने के बारे में शिकायत की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

881 **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई और गत उन्नीस वर्षों के दौरान एक बार भी वार्षिक कार्यक्रम क्यों नहीं पूरा किया गया;

(ख) उनके मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या कितनी है और उनके अध्यक्षों तथा सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं और उनके द्वारा कितना प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है;

(ग) हिन्दी अनुभाग को छोड़कर कितने अनुभागों में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है;

(घ) क्या यह सच है कि हिन्दी अनुभागों को छोड़कर इन विभागों के किसी एक संचिका में भी हिन्दी में कार्य नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) राजभाषा अधिनियम के इन उपबंधों को लागू न किये जाने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मंत्रालय के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 10 सितम्बर, 1985 को इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया था । तब से इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की छह बैठकें क्रमशः 30 अक्तूबर, 1985, 13 फरवरी, 1986, 21 अगस्त, 1986, 19 फरवरी, 1987, 21 मार्च, 1987 तथा 4 नवम्बर, 1987 को हुई है ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम मंत्रालय में लागू किया जा रहा है और उसके कार्यान्वयन की सतत मानीटरिंग निरीक्षणों तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा तथा मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के मध्यम से की जाती है।

(ख) मत्रालय तथा मंत्रालय के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हिन्दी के प्रभारी संयुक्त सचिव हैं और इसका गठन राजभाषा विभाग के का. ज्ञा सं. आई/14011/17/76-रा. भा. (क-1) दिनांक 7-2 1977 में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया गया है । मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार मंत्रालय के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों में भी इस प्रकार राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है और संबंधित कार्यालयों के प्रधान इन समितियों के अध्यक्ष हैं। हाल ही में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के स्थानीय गैर-सरकारी सदस्यो को भी उपक्रमो की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में सहयोजित सदस्यों के रूप में नामित किया गया है । समिति के सदस्य वार्षिक कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुरूप हिन्दी में कार्य करते हैं।

(ग) इस मंत्रालय के तीन अनुभागों यथा प्रशासन अनुभाग, एल. सी. टी. कक्ष तथा पुस्तकालय को दिनांक 11 जून, 1986 को

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन अधिकतम कार्य हिन्दी में ही करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) राजभाषा अधिनयम के प्रावधानों का मंत्रालय में कार्यान्वित किया जा रहा है।

Commission on Petrol and Petroleum Products

882. SHRI SURESH KALMADI : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state :

(a) what is the maximum and minimum percentage of commission given to dealers on the sale of petrol, diesel, LPPGG lubricants and grease, respectively.

(b) what was the commission on the sale of these products in 1975;

(c) whether Government have received any representations from the dealers of petrol and diesel to increase the commission; and

(d) what action Government propose to take on the representations ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTTA) : (a)

(i) The percentage of dealers commission on petrol and diesel in relation to the ex-storage prices of these products during 1987 is as under :—

Slab for Sales (Volume in Kl/annum)	Commission as a percentage on ex-storage price ex-Bombay	
	Petrol	Diesel
0-360	2·23	2·70
361-600	1·76	2·02
601-1080	1·46	1·44
above 1080	1·7	1·25

(ii) The dealers commission on sale of lubricants and greases within the free delivery zone is Rs. 1200/KL and Rs 1500/MT respectively. It is not possible to work out commission as percentage to price in the case of lubricating oils and greases as there are various grades whose prices vary significantly.

(iii) The dealers commission on LPG (Packed) cylinders is Rs 5.30/- per cylinder. It is not fixed on percentage basis to price.

(b) In 1975 the rates of commission were as under :—

Petrol	Rs. 41.80	Per KL
Diesel	Rs. 17 60	Per KL
LPG	Rs. 3.37	Per cylinder

In the case of lubricants and greases there was no fixed commission and the dealers were recovering the commission depending upon what the market could bear.

(c) Yes. Sir

(d) The dealers' commission on petrol and diesel is automatically revised with change in the price as per a formula. There is no proposal at present to revise the rates of commission on petrol & diesel

मैसर्स जी. एस. इन्टरप्राइजेज द्वारा घरेलू गैस (एल. पी. जी.) के रिफिलों की अप्राधिकृत सप्लाई

883 **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी दिल्ली में घरेलू गैस (एल. पी. जी.) का वितरक मैसर्स जी. एस. इन्टरप्राइजेज ऐसे कतिपय इलाकों, बस्तियों में सिलेण्डरों की सप्लाई कर रहा है जहां अन्य स्थानीय गैस वितरक मौजूद हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन क्षेत्रों/बस्तियों के नाम क्या हैं जिनको उक्त फर्म अनधिकृत रूप से सिलेण्डरों की सप्लाई करता है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स जी. एस. एंटरप्राइजेज का व्यापारिक क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के कुछ अन्य एल.पी.जी. वितरकों के व्यापारिक क्षेत्रों के साथ परस्पर व्याप्त है। यह कोई असामान्य बात नहीं है इसलिए इस वितरक द्वारा अन्य वितरकों के व्यापारिक क्षेत्र में अनधिकृत रूप से रिफिलों की सप्लाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।